सोनम व अन्य श्रमिक बच्चों की सहायता के लिए आप भी आगे आकर कदम बढ़ाएं

किसी भी बाल श्रम की घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने नज़दीकी निम्न जगहों पर संपर्क करें-

- जिला बाल संरक्षण इकाई
- बाल श्रम अधिकारी
- चाइल्ड लाइन 1098
- स्थानीय पुलिस नंबर 100

मैं पढ़ूंगी-लिखूंगी, स्कूल में बहुत कुछ सिखूंगी

न केवल खुद सक्षम बनूंगी, अपने परिवार को भी सक्षम बनाऊंगी।

new concept
Centre for Development Communication

unicef | for every child

सोनम की पढ़ाई छूटी, उसके सपने टूटे

सोनम की उम्र 12 साल हो गई है। वह केवल कक्षा 6 तक ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई और स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन वह अभी भी पढ़ना-लिखना चाहती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अब अपने मां का काम-काज में हाथ बंटाती है। सोनम अपनी मां के साथ मजदूरी करने जाती है। उसके माता-पिता का कहना है कि एक मजदूर का बेटा या बेटी मजदूर ही बन सकते हैं इसलिए ज्यादा पढ़ाने-लिखाने में पैसा खर्च करना ठीक नहीं, अगर सोनम हमारा हाथ बंटाएगी तो घर में चार पैसे आएंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, इसलिए उन्होंने सोनम को पढ़ाई-लिखाई न करा, मजदूरी कराना ही बेहतर समझा।

सोनम की रह गई पढ़ाई अधूरी, न हो सकी उसकी आकांक्षा पूरी

बाल श्रम किसे कहते हैं?

कोई भी ऐसा कार्य जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके बचपन, संभावित क्षमता और सम्मान से वंचित करता है तथा जो उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उसे बाल श्रम कहते हैं।

बाल श्रम के नुकसानः

- विद्यालय जाने के अवसर से उन्हें वंचित करता है।
- बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करता है।
- विद्यालय में उपस्थिति के साथ-साथ काफी समय तक भारी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- कम उम्र में काम करने से बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है तथा उनका बचपन छिन जाता है।

सोनम जैसे और भी हैं कई बच्चे

बाल श्रम से संबंधित आंकड़े

भारतः भारत में बाल श्रम के शिकार बच्चों की संख्याः लगभग 320 लाख है तथा भारत में बाल श्रम के आंकड़ें कुछ इस प्रकार हैं- लड़काः 5.6 मिलियन और लड़कीः 4.5 मिलियन।

(स्रोत- एन.सी.पी.सी.आर. 2004-2005 रिपोर्ट)

सोनम जैसे बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से वंचित करने की है सजा

बाल श्रम एक दंडनीय अपराधः

बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसारः

- किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराने पर 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
- 14 से 18 साल के बच्चे जोखिम भरा कार्य कराने पर सजा के भागीदार हो सकते हैं।
- अपराधी पाए जाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।